

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
समाज कल्याण विभाग
(दिव्यांगजन कल्याण शाखा)
7वीं मंजिल, एमएसओ भवन, आईटीओ, नई दिल्ली-110002

प्रवेश सूचना

दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अटल दृष्टि छात्रावास, तिमारपुर (कॉलेज में पढ़ने वाली नेत्रहीन छात्राओं के लिए) में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यह छात्रावास उन छात्राओं के लिए है जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन उन्हें अपने कॉलेज में छात्रावास की सुविधा नहीं मिल पाई है।

पात्रता

1. केवल अविवाहित और पूर्णतः नेत्रहीन छात्राएँ, जो दिल्ली की स्थायी निवासी हैं, वो ही आवेदन कर सकती हैं। (आंशिक रूप से नेत्रहीन छात्राएँ पात्र नहीं हैं।)
2. आयु अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए।
3. छात्रा ने सी.बी.एस.ई. या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (बारहवीं) पास की हो या दिल्ली के किसी विश्वविद्यालय से बी.ए. पास किया हो।
4. दिल्ली से बाहर तेनात सरकारी/रक्षा कर्मचारियों की नेत्रहीन बेटियों को सीट खाली होने पर प्रवेश दिया जा सकता है।
5. पत्राचार या संख्या कॉलेज की छात्राएँ, तथा एम.ए. पास करके एम.फिल., पीएच.डी., बी.एड., एलएलबी या अन्य उच्च/व्यावसायिक कोर्स कर रही छात्राएँ आवेदन नहीं कर सकती।

प्रवेश प्रक्रिया

- निर्धारित आवेदन फॉर्म <https://socialwelfare.delhi.gov.in> से प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।
- सभी आवेदकों का साक्षात्कार प्रवेश समिति द्वारा लिया जाएगा। समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- चयनित छात्राओं को रु. 500/- की वापसी योग्य जमानत राशि जमा करनी होगी या रु. 500/- का जमानती बांड देना होगा।
- प्रवेश / पुनः प्रवेश अधिकार का विषय नहीं है।
- सत्र के बीच में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

सुविधाएँ

छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को भोजन और बिस्तर की सुविधा विभाग के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

महत्वपूर्ण सूचना

- छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को हर नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन करना होगा।
- प्रवेश के लिए आवेदन विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर करना आवश्यक है।

उप निदेशक (मीडिया)
समाज कल्याण विभाग

DIP/SHABDARTH/CLASSIFIED/0454/25-26

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दैनिक जागरण - 28.02.2026

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
समाज कल्याण विभाग
(दिव्यांगजन कल्याण शाखा)
7वीं मंजिल, एमएसओ भवन, आईटीओ, नई दिल्ली-110002

प्रवेश सूचना

दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अटल दृष्टि छात्रावास, तिमारपुर (कॉलेज में पढ़ने वाली नेत्रहीन छात्राओं के लिए) में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यह छात्रावास उन छात्राओं के लिए है जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन उन्हें अपने कॉलेज में छात्रावास की सुविधा नहीं मिल पाई है।

पात्रता

- केवल अविवाहित और पूर्णतः नेत्रहीन छात्राएँ, जो दिल्ली की स्थायी निवासी हैं, वो ही आवेदन कर सकती हैं। (आंशिक रूप से नेत्रहीन छात्राएँ पात्र नहीं हैं।)
- आयु अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए।
- छात्रा ने सी.बी.एस.ई. या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (बारहवीं) पास की हो या दिल्ली के किसी विश्वविद्यालय से बी.ए. पास किया हो।
- दिल्ली से बाहर तैनात सरकारी/रक्षा कर्मचारियों की नेत्रहीन बेटियों को सीट खाती होने पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- पत्राचार या संघीय कॉलेज की छात्राएँ, तथा एम.ए. पास करके एम.फिल., पीएच.डी., बी.एड., एलएलबी या अन्य उच्च/व्यावसायिक कोर्स कर रही छात्राएँ आवेदन नहीं कर सकती।

प्रवेश प्रक्रिया

- निर्धारित आवेदन फॉर्म <https://socialwelfare.delhi.gov.in> से प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।
- सभी आवेदकों का साक्षात्कार प्रवेश समिति द्वारा लिया जाएगा। समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- चयनित छात्राओं को ₹500/- की वापसी योग्य जमानत राशि जमा करनी होगी या ₹500/- का जमानती बॉन्ड देना होगा।
- प्रवेश / पुनःप्रवेश अधिकार का विषय नहीं है।
- सत्र के बीच में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

सुविधाएँ

छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को भोजन और बिस्तर की सुविधा विभाग के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

महत्वपूर्ण सूचना

- छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को हर नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन करना होगा।
- प्रवेश के लिए आवेदन विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर करना आवश्यक है।

DIP/Shabdarth/Classified/0454/25-26

उप निदेशक (मीडिया)
समाज कल्याण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

जवभारत टाइम्स - 28.02.2026

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
समाज कल्याण विभाग
(दिव्यांगजन कल्याण शाखा)
7वीं मंजिल, एमएसओ भवन, आईटीओ, नई दिल्ली-110002

प्रवेश सूचना

दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अटल-दृष्टि छात्रावास, तिमारपुर (कॉलेज में पढ़ने वाली नेत्रहीन छात्राओं के लिए) में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यह छात्रावास उन छात्राओं के लिए है जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन उन्हें अपने कॉलेज में छात्रावास की सुविधा नहीं मिल पाई है।

पात्रता

1. केवल अविवाहित और पूर्णतः नेत्रहीन छात्राएं, जो दिल्ली की स्थायी निवासी हैं, वो ही आवेदन कर सकती हैं। (आंशिक रूप से नेत्रहीन छात्राएं पात्र नहीं हैं।)
2. आयु अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए।
3. छात्रा ने सी.बी.एस.ई. या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (बारहवीं) पास की हो या दिल्ली के किसी विश्वविद्यालय से बी.ए. पास किया हो।
4. दिल्ली से बाहर तैनात सरकारी/ रक्षा कर्मचारियों की नेत्रहीन बेटियों को सीट खाली होने पर प्रवेश दिया जा सकता है।
5. पत्राचार या संध्या कॉलेज की छात्राएं, तथा एम.ए. पास करके एम.फिल., पीएच.डी., बी.एड., एलएलबी या अन्य उच्च/व्यावसायिक कोर्स कर रही छात्राएं आवेदन नहीं कर सकती।

प्रवेश प्रक्रिया

- निर्धारित आवेदन फॉर्म <https://socialwelfare.delhi.gov.in> से प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।
- सभी आवेदकों का साक्षात्कार प्रवेश समिति द्वारा लिया जाएगा। समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- चयनित छात्राओं को रु. 500/- की वापसी योग्य जमानत राशि जमा करनी होगी या रु. 500/- का जमानती बांड देना होगा।
- प्रवेश / पुनःप्रवेश अधिकार का विषय नहीं है।
- सत्र के बीच में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

सुविधाएं

छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को भोजन और बिस्तर की सुविधा विभाग के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

महत्वपूर्ण सूचना

- छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को हर नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन करना होगा।
- प्रवेश के लिए आवेदन विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर करना आवश्यक है।

हस्ता./-उप निदेशक (मीडिया)

समाज कल्याण विभाग;

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

DIP/Shabdarth/Classified/0454/25-26

पंजाब कैशरी - 28.02.2026

GOVT. OF NCT OF DELHI
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE
(PERSONS WITH DISABILITIES WELFARE BRANCH)
7TH FLOOR, MSO BUILDING, ITO, NEW DELHI-110002

ADMISSION NOTICE

Applications are invited for admission to the **Atal Dristi-Hostel for College-Going Blind Students (Girls) at Timarpur, Delhi**, run by the Department of Social Welfare, GNCTD, for the students studying in Delhi but are not able to get accommodation in the college hostels.

Eligibility

1. Female unmarried totally blind students, who are bonafide residents of Delhi (**Partially blind are not eligible**).
2. Maximum age up to 25 years.
3. Passed Senior Secondary (10+2) examination from CBSE or other recognized Board/passed B.A examination from University in Delhi.
4. Blind daughters of Govt./Defense employees posted outside Delhi may also be considered, subject to availability of seats.
5. Students of correspondence/evening colleges, and those who have passed M.A. and pursuing M.Phil., Ph.D., B.Ed., LLB, or other PG/Professional courses are not eligible.

Admission Procedure

- Apply in prescribed form (available at <https://socialwelfare.delhi.gov.in>) with required documents.
- Applicants will be interviewed by the Admission Committee and the decision of the Committee shall be final.
- Selected candidates must deposit ₹ 500 refundable caution money or submit a surety bond of equivalent amount.
- Admission/re-admission is not a matter of right.
- No admission shall be made during the mid academic session/year.

Facilities: Fooding & Bedding article as per Manual of Department of Social Welfare.

Note: Hostellers are required to apply for re-admission every year at the commencement of the academic session, subject to the hosteller following the rules and regulations of the hostel

Note: Students must apply for admission within 30 days of publication of admission.

Dy. Director (Media)
Department of Social Welfare
Govt. of NCT of Delhi

DIP/Shabdarth/Classified/0454/25-26

New Delhi

The Hindustan Times - 28.02.2026

GOVT. OF NCT OF DELHI
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE
(PERSONS WITH DISABILITIES WELFARE BRANCH)
7TH FLOOR, MSO BUILDING, ITO, NEW DELHI-110002

ADMISSION NOTICE

Applications are invited for admission to the Atal Dristi-Hostel for College-Going Blind Students (Girls) at Timarpur, Delhi, run by the Department of Social Welfare, GNCTD, for the students studying in Delhi but are not able to get accommodation in the college hostels.

Eligibility

1. Female unmarried totally blind students, who are bonafide residents of Delhi (Partially blind are not eligible).
2. Maximum age up to 25 years.
3. Passed Senior Secondary (10+2) examination from CBSE or other recognized Board/passed B.A examination from University in Delhi.
4. Blind daughters of Govt./Defense employees posted outside Delhi may also be considered, subject to availability of seats.
5. Students of correspondence/evening colleges, and those who have passed M.A. and pursuing M.Phil., Ph.D., B.Ed., LLB, or other PG/Professional courses are not eligible.

Admission Procedure

- Apply in prescribed form (available at <https://socialwelfare.delhi.gov.in>) with required documents.
- Applicants will be interviewed by the Admission Committee and the decision of the Committee shall be final.
- Selected candidates must deposit ₹500 refundable caution money or submit a surety bond of equivalent amount.
- Admission/re-admission is not a matter of right.
- No admission shall be made during the mid academic session/year.

Facilities: Fooding & Bedding article as per Manual of Department of Social Welfare.

Note: Hostellers are required to apply for re-admission every year at the commencement of the academic session, subject to the hosteller following the rules and regulations of the hostel

Note: Students must apply for admission within 30 days of publication of admission.

Sd/-

Dy. Director (Media)
Department of Social Welfare
Govt. of NCT of Delhi

DIP/Shabdarth/Classified/0454/25-26

New Delhi

The Indian Express - 28.02.2026

**GOVT. OF NCT OF DELHI
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE
(PERSONS WITH DISABILITIES WELFARE BRANCH)
7TH FLOOR, MSO BUILDING, ITO, NEW DELHI-110002**

ADMISSION NOTICE

Applications are invited for admission to the Atal Dristi-Hostel for College-Going Blind Students (Girls) at Timarpur, Delhi, run by the Department of Social Welfare, GNCTD, for the students studying in Delhi but are not able to get accommodation in the college hostels.

Eligibility

1. Female unmarried totally blind students, who are bonafide residents of Delhi (Partially blind are not eligible).
2. Maximum age up to 25 years.
3. Passed Senior Secondary (10+2) examination from CBSE or other recognized Board/ passed B.A examination from University in Delhi.
4. Blind daughters of Govt./Defense employees posted outside Delhi may also be considered, subject to availability of seats.
5. Students of correspondence/evening colleges, and those who have passed M.A. and pursuing M.Phil., Ph.D., B.Ed., LLB, or other PG/Professional courses are not eligible.

Admission Procedure

- Apply in prescribed form (available at <https://socialwelfare.delhi.gov.in>) with required documents.
- Applicants will be interviewed by the Admission Committee and the decision of the Committee shall be final.
- Selected candidates must deposit ₹500 refundable caution money or submit a surety bond of equivalent amount.
- Admission/re-admission is not a matter of right.
- No admission shall be made during the mid academic session/year.

Facilities: Fooding & Bedding article as per Manual of Department of Social Welfare.

Note: Hostellers are required to apply for re-admission every year at the commencement of the academic session, subject to the hosteller following the rules and regulations of the hostel

Note: Students must apply for admission within 30 days of publication of admission.

Dy. Director (Media)
Department of Social Welfare
Govt. of NCT of Delhi

DIP/Shabdarth/Classified/0454/25-26

The Times of India - 28.02.2026